संख्या-619/2025/1405/22-2-2023-17(174)/2016

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र श्री अतर सिंह उर्फ लाल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13821/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 21.04.2023, दिनांक 27.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर पुत्र श्री अतर सिंह उर्फ लाल सिंह, ग्राम टाण्डा माजरा थाना-बुढावा, मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा पूर्व में हुयी हत्या की रंजिश को लेकर दिनांक 29.06.1983 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व पिस्टल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-377/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.10.1984 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.03.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28.09.2016 द्वारा उक्ता सजा को यथावत रखा गया, दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा 01.11.2022 तक अपरिहार 08 वर्ष 05 माह 20 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष 01 माह 09 दिन की भोगी गयी सजा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर (बन्दी संख्या-17931) पुत्र श्री अतर सिंह उर्फ लाल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-619/2025/1405(1)/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in